

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Frequently Asked Questions(FAQ)

सीईएन. सं. 07/2026 विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों पदों की भर्ती (पूर्व स्नातक)
CEN. No. 07/2026 Recruitment for the various posts of Non-Technical Popular Categories (Under Graduate)

(हिंदी एवं अंग्रेजी)
(Hindi & English)

- प्रश्न 01** सीईएन संख्या 07/2026 के लिए आवेदन आरंभ होने की तिथि क्या है ?
What is the opening date of Application for CEN No. 07/2026?
उत्तर आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15-10-2026 है।
The opening date of application is 15-10-2026.
- प्रश्न 02** सीईएन संख्या 07/2026 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
What is the closing date for submission of Application for CEN No. 07/2026?
उत्तर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13-11-2026@23.59 बजे है एवं प्रस्तुत आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 15-11-2026 है।
The closing date for submission of online application is 13-11-2026@23.59Hrs. And the last date for payment of the application fee for submitted applications is 15-11-2026.
- प्रश्न 03** आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं?
What are the dates for modification of application?
उत्तर संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और 16.11.2026 से 25.11.2026 तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित (और चुने गए आरआरबी के विवरण के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक 250/- रुपये) वापसी योग्य नहीं (का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।) कृपया ध्यान दें : 'खाता बनाएँ' फॉर्म और 'चुने हुए आरआरबी' में भरे गए विवरण संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।
Modification window will open only after closing date for submission of application and will be active from 16.11.2026 to 25.11.2026. If candidates wish to modify, change or correct any details except details filled in the 'Create an Account' form (including email id and mobile number) and chosen RRB, they may do so by paying a modification fee of Rs.250/- (non-refundable) for each occasion. (Please Note: Details filled in 'Create an Account' form and 'Chosen RRB' cannot be modified).
- प्रश्न 04** मेरे अंतिम परिणाम 13.11.2026 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
My final results are expected after 13.11.2026. Can I apply?
उत्तर नहीं, निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षिक/ तकनीकी योग्यताएँ होनी चाहिए।
No, Candidates waiting for final results of prescribed educational/technical qualifications are not eligible to apply. Candidates should possess prescribed educational/technical qualifications on or before the closing date for submission of application for this CEN.
- प्रश्न 05** 'खाता बनाने' के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं ?
What are the requirements to 'Create an Account'?
उत्तर अभ्यर्थियों के पास अपना मोबाइल नंबर और वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए।
Candidates should have their own mobile number and valid & active personal email ID.
- प्रश्न 06** मैंने सीईएन 01/2025 लिए एक खाता बनाया है। क्या मुझे सीईएन 07/2026 लिए एक और खाता बनाना चाहिए ?
I have created an account for CEN 01/2025. Should I create another account for CEN 07/2026?
उत्तर नहीं, जिन उम्मीदवारों ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा साल 2024, 2025 या 2026 में जारी किसी भी नोटिफिकेशन के दौरान पहले ही अकाउंट बना लिया है, उन्हें दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें CEN 07/2026 के लिए अप्लाई करने के लिए उसी यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना चाहिए।
No, Candidates who have already created an account during any notification published by Railway Recruitment Board in the year 2024, 2025 or 2026 are not required to Create an Account again. They should login using the same username and password to apply for CEN 07/2026.

प्रश्न	07	‘खाता बनाने’ की प्रक्रिया क्या है? What is the procedure to ‘Create an Account’?
उत्तर		‘अप्लाई बटन’ के अंतर्गत, ‘क्रिएट अकाउंट’ चुनें, उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसे दर्ज करके सबमिट करना होगा। Under ‘Apply Button’, select ‘Create an Account’, enter all details asked for including candidate’s mobile number and email ID. OTP will be sent to candidate’s mobile number and email. The same have to be entered and submitted.
प्रश्न	08	क्या मैं ‘खाता बनाएं’ विवरण संशोधित कर सकता हूँ? Can I edit the ‘Create an Account’ details?
उत्तर		एक बार खाता बन जाने के बाद अभ्यर्थी ‘खाता बनाएं’ के किसी भी विवरण को संशोधित नहीं कर सकते। Candidates CANNOT edit any details of the ‘Create an account’ once the account is created.
प्रश्न	09	‘खाता बनाएं’ के बाद अगली प्रक्रिया क्या है? What is next procedure after ‘Create an Account’?
उत्तर		• खाता बनाने के बाद, RRB क्रेडेंशियल या आधार कार्ड क्रेडेंशियल का उपयोग करके rrbapply.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करें। • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पाँच मुख्य खंड हैं जैसे व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रोफाइल दस्तावेज़ अपलोड करें, पूर्वावलोकन और वरीयता और सबमिट करें। • “खाता बनाएँ” चरण में भरे गए 12 विवरण आवेदन में पहले से ही दिखाई देंगे जिन्हें संपादित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत विवरण से शुरू करते हुए, सभी विवरण दर्ज करके शुरुआत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, सहेजें और अगले खंड पर जाएँ और इस तरह तब तक जारी रखें जब तक आप अंतिम खंड यानी पूर्वावलोकन और वरीयता और सबमिट तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ उम्मीदवार अंततः भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। • शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को RRB से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद, उम्मीदवार पंजीकरण संख्या वाले जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं। नोट: जिन उम्मीदवारों ने 2024, 2025 या 2026 की आरआरबी अधिसूचनाओं के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय अपने पिछले सहेजे गए डेटा से आवेदन मॉड्यूल के व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण और शैक्षिक योग्यता के संबंधित पृष्ठों पर सटीकता की जांच करें और फिर भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के लिए आगे बढ़ें। ‘खाता बनाएँ’ फॉर्म में भरे गए विवरण (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ई-केवाईसी विवरण चुने हुए आरआरबी सहित) को संशोधित नहीं किया जा सकता है। • After Create an Account, Log-in to the application in rrbapply.gov.in portal using RRB credentials or AADHAAR credentials. • There are five broad sections to complete the online submission of application like Personal Details, Other Details, Educational Qualification, Upload Profile Documents, Preview and Preference& Submit. • The 12 details filled in “Create an Account” stage will pre-populate in the application which cannot be edited. Begin by entering all details, starting with Personal Details. After entering personal details, save and proceed to the next section and continue in this manner until you reach the last section i.e., Preview and Preference & Submit, where a candidate can finally submit the online application for payment. • After completion of fee payment process, the applicant will receive a confirmation on successful payment through email & SMS from RRB. After that, a candidate can take a printout of the submitted application containing the registration number. Note: Candidates who have already applied to RRB notifications of 2024, 2025 or 2026 are advised to check data fetched from their previous saved data while applying for this CEN at respective pages of Personal Details, Other details and Educational of Application Module for correctness and then proceed further for submission of application for payment. Details filled in the ‘Create an Account’ form (Name, Father’s name, Mother’s name, Date of Birth, Gender, Nationality, Matriculation Roll No., Matriculation certificate Serial No., Matriculation certificate date, email ID, mobile number and Aadhaar e-KYC details including chosen RRB) cannot be modified.

- प्रश्न 10** क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?
Can mobile be used for filling up of application?
- उत्तर** एप्लिकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगे। इसलिए, डेस्कटॉप/लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
Some features of application module will not work properly on mobile platform. So, it is advised to use Desktop/Laptop.
- प्रश्न 11** लॉगइन करने की प्रक्रिया क्या है?
What is the procedure to login?
- पंजीकृत मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी दर्ज करें, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।
Enter registered mobile number / email ID followed by password and captcha and submit.
- प्रश्न 12** सीईएन 07/2026 में कितने वेतन स्तर हैं?
How many Pay Levels are there in CEN 07/2026?
- उत्तर** सीईएन 07/2026 में दो वेतन स्तर हैं (स्तर-2 से स्तर-3 तक)।
There are two pay levels in CEN 07/2026 (Level-2 to Level-3).
- प्रश्न 13** आवेदन कैसे करें?
How to apply?
- उत्तर** आवेदन कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पैरा 14.1 से 14.5.3 देखें। गलतियों से बचने के लिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत CEN में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
Kindly refer to Para 14.1 to 14.5.3 for details on how to apply. Candidates must read all the information and instructions given in the detailed CEN carefully before filling the ONLINE application to prevent mistakes.
- प्रश्न 14** आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?
What is the use of application Registration Number?
- उत्तर** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जमा किए गए आवेदन की पंजीकरण संख्या को नोट करके रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा। विस्तृत सीईएन 07/2026 के पैरा 16.0 (बी) (iv) का संदर्भ लें।
Candidates are advised to note and remember their Registration Number of submitted application till the completion of recruitment process. Registration Number will be used for further stages of recruitment process and correspondence with RRBs. Refer to Para 16.0 (b) (iv) of the Detailed CEN 07/2026.
- प्रश्न 15** दिव्यांगजन प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?
What is the crucial date for PwBD certificate?
- उत्तर** दिव्यांगजन उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् 13.11.2026 तक या उससे पहले विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
PwBD candidates must possess their disability certificate on or before closing date of online application i.e. 13.11.2026.
- प्रश्न 16** क्या मैं अलग-अलग वेतन स्तरों के लिए अलग-अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?
Can I apply to different RRBs for different pay levels?
- उत्तर** नहीं। अभ्यर्थियों को केवल एक रे.भ.बो. के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
No. Candidates are allowed to apply for one RRB only.
- प्रश्न 17** क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?
Can I apply to more than one RRB?
- उत्तर** नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से ज्यादा रे.भ.बो. में आवेदन करने पर आपके सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे और आपको रे.भ.बो. तथा आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
No, you should not. Applying to more than one RRB will result in the rejection of all Applications and will lead to debarment from all future examinations of RRB and RRC.

- प्रश्न 18 क्या मैं एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ?**
Can I apply multiple applications to same RRB?
- उत्तर** नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही आरआरबी में एक से ज्यादा आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएँगे और आपको आरआरबी व आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
 No, you should not. Multiple applications to same RRB will result in the rejection of all applications and will lead to debarment from all future examinations of RRB and RRC.
- प्रश्न 19 मैंने LASIK सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?**
I have undergone LASIK surgery. Am I eligible to apply?
- उत्तर** लेसिक सर्जरी करवा चुके उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक B2 & C2 आवश्यक है। कृपया CEN 07/2026 के पैरा 3.0 का नोट (c) देखें।
 Candidate's undergone LASIK surgery is eligible for posts that require Medical Standards B2 & C2. Please refer Note (c) of Para 3.0 of CEN 07/2026.
- प्रश्न 20 डिजिलॉकर/आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है?**
Why DigiLocker/Aadhaar Verification is required?
- उत्तर** भर्ती के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए डिजी लॉकर/आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने और सीबीटी के दौरान छद्म पहचान पत्र (छद्म पहचान पत्र) को रोकने के लिए भी। आरआरबी आधार विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफी सख्त और विस्तृत जाँच की जाएगी।
 Digi Locker/Aadhaar validation is required for smoother process at different stages of recruitment for the candidates themselves. Further, to ensure genuineness of candidature and to curb impersonation during CBTs. RRBs will not share Aadhaar details with any third party or use them for any purpose other than the objectives of this CEN. If applicants verify their identity & other primary details with alternate Photo IDs, they will be subjected to significantly stricter & more detailed scrutiny at every stage of recruitment process.
- प्रश्न 21 अगर मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?**
What should I do, if I don't have Aadhaar?
- उत्तर** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में, "खाता बनाएँ" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके अभी भी प्रमाणीकरण कर सकते हैं। किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से पहले यह पूरा किया जाना चाहिए। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सुगम प्रक्रिया संभव होगी। यदि आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के साथ अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरण सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी काफी सख्त और विस्तृत जाँच की जाएगी।
 Candidates are advised, in their own interest, to authenticate their identity using Digilocker or Aadhaar during the "Create an Account" stage. If they missed this stage, they can still authenticate during the online application details filling process by using the "Verify Aadhaar" facility and providing their Aadhaar details. This must be completed before final submission of application for a particular CEN. This will facilitate a smoother process at different stages of recruitment for the candidates themselves. If applicants verify their identity & other primary details with alternate Photo IDs, they will be subjected to significantly stricter & more detailed scrutiny at every stage of recruitment process.
- प्रश्न 22 यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?**
What document should I produce if I have already changed my name?
- उत्तर** आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज़ होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए जाने पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों को 'खाता बनाएँ' के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में, आवेदन में दोनों नाम दिखाई देंगे।
 Applicants must possess a Gazette Notification or relevant legal documentation for name changes and be prepared to present it upon request during the recruitment process. The same should be submitted at the time of DV. Applicants should also have to fill the original name and the changed name during 'Create an Account'. In such cases, both the names will be reflected in the application.

- प्रश्न 23** यदि मैं अपना खाता लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
What should I do if I forgot password to login My Account?
- उत्तर** लॉगिन पृष्ठ पर 'पासवर्ड भूल गए' विकल्प पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि के साथ अपना या तो पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाएगा। इसके बाद, उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाएँ भाग में उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर एक नया पासवर्ड बना सकते हैं।
Click on the 'Forgot Password' option on the login page. Enter either your registered email or mobile number along with your date of birth. The revised password will be sent to the candidate's registered email address. Candidates must then login using the revised password sent to their registered email. After logging in, Candidates then can create a new password by accessing the 'Change Password' option available on the upper right-hand side of the online application page.
- प्रश्न 24** क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ?
Can I change my password?
- उत्तर** हाँ। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाहिने हिस्से में उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।
Yes. Candidates should first login by using the old password. After logging in, Candidates then can change their old password by accessing the 'Change Password' option available on the upper right-hand side of the online application page.
- प्रश्न 25** क्या मैं अपना 'चुना हुआ रे.भ.बो.' बदल सकता हूँ?
Can I change my 'Chosen RRB'?
- उत्तर** नहीं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप 'चुना हुआ RRB' नहीं बदल सकते।
No, you cannot change the 'chosen RRB' after submission of application.
- प्रश्न 26** क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण संशोधित कर सकता हूँ?
Can I edit my details during the application process?
- हाँ। 'खाता बनाएं' के दौरान दर्ज किए गए विवरण के अलावा आवेदन में कोई भी विवरण तब तक संशोधित किया जा सकता है जब तक कि आवेदन जमा नहीं हो जाता और पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं होती।
Yes. Any details in the application other than the details entered during 'Create an Account' can be edited till the application is submitted and registration number generated.
- प्रश्न 27** मैंने आवेदन में अपने समुदाय/जाति का गलत उल्लेख किया है। क्या मैं आवेदन जमा करने के बाद अपने समुदाय/जाति में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
I have wrongly mentioned my community/caste in the application. Can I modify my community/ caste after submission of application?
- उत्तर** हाँ, संशोधन अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क देकर ही विवरण संपादित किए जा सकते हैं। हालाँकि, संशोधन अवधि समाप्त होने के बाद विवरण संपादित नहीं किए जा सकते। आपको दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन के अनुसार समुदाय और जाति का विवरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी केवल 'अनारक्षित' श्रेणी के अंतर्गत ही मानी जाएगी, बशर्ते आप सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
Yes, editing of details is allowed during Modification window period only by paying prescribed fee. However, after Modification window period is closed editing of details is not allowed. You must submit Community and caste as per the online application during the Document Verification process, failing which your candidature will be considered under 'Unreserved' category only subject to fulfilment of all eligibility conditions.
- प्रश्न 28** क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भुगतान करने से पहले अपने आवेदन विवरण को संशोधित कर सकता हूँ?
Can I edit my application details after submission of online application before making payment?
- उत्तर** • नहीं, उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद विवरण संशोधित नहीं कर सकते।
• उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पूर्वविलोकन में अपने द्वारा भरे गए विवरण की सत्यता के लिए वरीयता और पूर्वविलोकन एवं सबमिट पृष्ठ पर पुनः जाँच करें और यदि सभी जानकारी सही है तो आवेदन जमा करें क्योंकि भुगतान हेतु आवेदन जमा करने के बाद कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यदि आवेदन पूर्वविलोकन में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'संपादित करें' बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर शुद्धता के लिए आवेदन का पुनः पूर्वविलोकन कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं।
• आवेदन जमा करने के बाद, अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी के विवरण के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वह 16-11-

2026 से 25-11-2026 तक की संशोधन अवधि के दौरान प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है।

- No, candidates cannot edit details after submission of application.
- Candidates are advised to re-check the detailed filled by them in application preview at Preference and Preview & Submit page for correctness and further submit application if all the information is correct since no change is permitted after submission of application for payment. If any information is found incorrect at application preview, they can click on 'Edit' button and rectify the incorrect information at respective page of application module, then again preview application for correctness and submit the application.
- After submission of the application, pay the requisite examination fee and complete the payment process. If a candidate wishes to modify, change or correct any details except details filled in the 'Create an Account' form details and chosen RRB, they may do so by paying a modification fee of Rs.250/- (non-refundable) for each occasion during the modification window from 16-11-2026 to 25-11-2026.

प्रश्न 29 निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (निःशुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं ?

Who are eligible for 'Free Travel Authority' (free Railway Pass)?

उत्तर केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवार ही 'निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण' (निःशुल्क रेलवे पास) का लाभ उठा सकते हैं।

Candidates belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) only can avail 'Free Travel Authority' (free Railway Pass).

प्रश्न 30 मैं 'मुफ्त यात्रा प्राधिकरण' (मुफ्त रेलवे पास) का लाभ कैसे उठा सकता हूँ?

How do I avail 'Free Travel Authority' (free Railway Pass)?

उत्तर यह सुविधा केवल एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय, ऐसे उम्मीदवारों को 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ्त रेल यात्रा पास प्राप्त करना चाहते हैं' के अंतर्गत डॉप डाउन से 'हां' चुनना चाहिए और 'निकटतम रेलवे स्टेशन' भरना चाहिए। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, ऐसा न करने पर आरक्षण प्राप्त करते समय उनके यात्रा प्राधिकरण को अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

This facility is available only to SC/ST candidates. While filling up ONLINE application, such candidates, should choose 'Yes' from the drop down under 'Do you wish to avail free rail travel pass for the exam and fill up 'Nearest Railway Station'. It is the responsibility of the candidates availing free travel authority to give the correct name of the Railway Station in online application, failing which their travel authority may get rejected while obtaining reservation. They are also required to upload their Caste Certificate.

प्रश्न 31 मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

How can I receive the free travel facility?

उत्तर पात्र एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में, उनके सिटी इंटीमेशन स्लिप/ई-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने सिटी इंटीमेशन स्लिप/ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, सीईएन संख्या 07/2026 का पैरा 19.0 (ई) देखें।

In case of eligible SC/ST candidates, their City Intimation Slip/e-call letter itself will contain the free travel authority (sleeper class railway pass). They will be allowed to book train reservation by submitting a self-attested photocopy of their City Intimation Slip/e-call letter and SC/ST certificate at the ticket booking counter. For further details, refer Para 19.0 (e) of CEN No. 07/2026

प्रश्न 32 मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ।

I am unable to upload my Caste Certificate.

उत्तर जांचें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ 'पीडीएफ' प्रारूप में है और आकार 400 केबी से कम है।

Check whether the scanned document is in 'PDF' format and the size is below 400 KB.

प्रश्न 33 ईबीसी क्या है ?

What is EBC?

उत्तर ईबीसी का मतलब है 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग'। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है (या) बीपीएल कार्ड धारक हैं या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र धारक हैं (या) रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक हैं। अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

EBC is 'Economically Backward Class'. Economically Backward Class (EBC) candidates are those whose annual family income is less than Rs.50,000/- (or) holders of BPL Card or any other certificate issued by Central Government under

are recognized poverty alleviation programme (or) holders of Izzat MST issued by Railways. Candidates should not confuse Economically Backward Class with Other Backward Class and Extremely Backward Class.

- प्रश्न 34 ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए गए हैं?**
What are the benefits given to EBC candidates?
- उत्तर** ईबीसी उम्मीदवारों को 'फीस में छूट' दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 07/2026 का पैरा 7.3 देखें।
EBC candidates are given 'Fee concession'. Refer Para 7.3 of the detailed CEN No. 07/2026.
- प्रश्न 35 यदि कोई अभ्यर्थी ईबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा तो क्या होगा?**
What will happen if a candidate failed to produce EBC Certificate?
- उत्तर** यदि किसी उम्मीदवार ने ईबीसी के रूप में शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, तो उसके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले वैध आय प्रमाण पत्र (सीईएन के अनुलग्नक III A के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़ात एमएसटी होना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय उसे यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 7.3 देखें।
If a candidate availed fee concession as EBC, he/she should have a valid Income Certificate (as per Annexure III A of the CEN) or BPL Card or any other certificate issued by Central Government under the recognized poverty alleviation program or IZZAT MST issued by Railways before submission of online application and will require to submit at the time of Document Verification, failing which his/her candidature will be rejected. Refer Para 7.3 of detailed CEN for complete information.
- प्रश्न 36 क्या ईबीसी के लिए पद आरक्षित हैं?**
Are there reserved posts for EBC?
- उत्तर** नहीं, ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है।
No. EBC candidates are eligible only for fee concession. There is no reservation of posts for EBC candidates.
- प्रश्न 37 अल्पसंख्यकों में कौन शामिल है?**
Who is included under minorities?
- उत्तर** अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, जिन्हें उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जहां से उम्मीदवार संबंधित है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी को अस्पष्ट कथन /हटाने/शामिल करने के अधीन है।
Minorities include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Zoroastrians (Parsis) which were given minority status by the State/UT where the candidate belongs, subject to evasion/deletion/inclusion if any received till last date of submission of online application.
- प्रश्न 38 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को क्या लाभ मिलते हैं? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा?**
What are the benefits given to Minorities candidates? What will happen if a candidate failed to produce an affidavit for minority community declaration during document verification?
- उत्तर** अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में छूट' दी जाती है और वे आरक्षण लाभ के पात्र नहीं हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) के लिए एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
Minorities candidates are given 'Fee concession' only and not eligible for reservation benefits. Minority candidates claiming waiver of examination fee will be required to submit an affidavit for minority community declaration (as per Annexure IV of the CEN) on non-judicial stamp paper mentioning their minority community at the time of Document Verification, failing which their candidature will be rejected.
- प्रश्न 39 ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के मानदंड क्या हैं ?**
What are the criteria for availing reservation under EWS?
- उत्तर** आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन नंबर 07/2026 का पैरा 8.13 देखें।
Refer Para 8.13 of the detailed CEN No. 07/2026 available in the official websites of RRBs.
- प्रश्न 40 शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र हैं?**

Who is all eligible for Fee Concession?

उत्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं।
SC, ST, Ex-Servicemen, PwBD, female, transgender, Minorities and Economically Backward Class candidates are eligible for fee relaxation.

प्रश्न 41 इस सीईएन -07/2026 के लिए आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि क्या है?
What is the crucial date for reckoning age for this CEN-07/2026?

उत्तर इस CEN-07/2026 के लिए आयु की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथि 01.01.2027 है।
Crucial date for reckoning age for this CEN-07/2026 is 01.01.2027.

प्रश्न 42 शैक्षिक योग्यता के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है? क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 13/11/2026 के बाद आने की उम्मीद है?

उत्तर **Crucial date for educational qualification? Can candidates whose result expected after 13/11/2026 apply?**
उम्मीदवारों (मौजूदा/नए) के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 13/11/2026 तक या उससे पहले अपनी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
Candidates (Existing/New) must possess their educational/ technical qualification on or before closing date of window period for submission of application i.e., 13/11/2026. Candidates waiting for final results of prescribed educational/technical qualification are not eligible to apply.

प्रश्न 43 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?
What is the crucial date to claim SC/ST/OBC/EWS status?

उत्तर इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक SC, ST, OBC-NCL और EWS के लिए समुदाय/श्रेणी की स्थिति को ही पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 8.0 (वर्टिकल रिजर्वेशन) को देखें। SC/ST/OBC/EWS स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जाति/समुदाय प्रमाण पत्र हो। DV के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 13.11.2026 तक मान्य अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा।
Community /category status for SC, ST, OBC-NCL and EWS as on the closing date of submission of applications against this CEN shall only be considered for reservation and related benefits as per eligibility. Any change in this status there after shall not be considered. Please refer para 8.0 (Vertical Reservation) of the detailed CEN for complete information. Candidates seeking reservation on the basis of SC/ ST/ OBC/ EWS status must ensure that they possess the caste/ community certificate as on the closing date for submission of application of this CEN. During DV, such candidates should produce their original caste/community certificate (in prescribed format) valid as on the closing date for submission of application i.e. 13.11.2026.

प्रश्न 44 मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ?
I am currently serving in the Armed Forces. Can I apply as an Ex- Serviceman?

उत्तर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में कार्यरत सशस्त्र सेवा कर्मियों को अनुलग्नक VI (A) के अनुसार "सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होगा। इसके अलावा, पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
For the armed services personnel who have been serving in armed forces on the closing date of application submission, shall submit "Employment certificate with probable date of discharge from service" as per Annexure VI (A) which is VALID as on closing date of submission of Online application for this CEN. Further, a self-declaration of Undertaking as per Annexure VI is to be submitted to claim Ex-servicemen reservation benefits, by all at the time of Document Verification.

प्रश्न 45 मैंने पहले ही एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के तहत भूतपूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूँ?
I have already secured civil employment as an Ex-Serviceman. Am I eligible for Ex-Serviceman benefits against this CEN?

उत्तर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अन्तर्गत समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अन्तर्गत समूह 'सी' / तत्कालीन समूह 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए

पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही दिया जाएगा।। ऐसे उम्मीदवार को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 07/2026 के पैरा 10.0 से 10.6 देखें।

Ex-Serviceman candidates who have already secured civil employment under Central Government in Group 'C' & erstwhile Group 'D' (including PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks etc.) after availing of the benefits given to Ex- Servicemen will be permitted only the benefit of age relaxation as prescribed for Ex-Servicemen for securing another civil employment in a higher grade or cadre in Group 'C'/erstwhile Group 'D' under Central Government. Such candidates will not be considered against the vacancies reserved for Ex-Servicemen. Refer Para 10.0 to 10.6 of the detailed CEN No. 07/2026.

प्रश्न 46 दस्तावेज़ सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करनी चाहिए?

Who should produce NOC at the time of Document Verification

उत्तर रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उसी समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी। कृपया अधिसूचना का पैरा संख्या 12.0 देखें।

Candidates serving (including those undergoing induction training/probation) in any Central/State Government Department including Railways or Public Sector Undertakings, may apply directly to the RRBs duly informing their employer. Shortlisted candidates should produce an NOC from the employer on the date of DV, failing which their candidature will be cancelled. It is the sole responsibility of the candidate to submit the NOC from his/her current employer within the prescribed time limit during/at the time of Document verification/empanelment/appointment, failing which his/her candidature/ empanelment/ appointment will be rejected & cancelled. Please refer to Para No. 12.0 of the notification.

प्रश्न 47 आवेदन जमा करने के बाद, मैंने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा?

After submission of application, I have joined in Central/State Government/Public Sector Undertakings. Do I have to Produce NOC at the time of DV?

उत्तर हाँ। यद्यपि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा ग्रहण कर ली है, फिर भी आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

Yes. Though you have joined service in any of the Central/State Government/ Public Sector Undertakings after submission of application, you are required to produce NOC at the time of DV, failing which your candidature/empanelment will be cancelled.

प्रश्न 48 PwBD के लिए निर्दिष्ट विकलांगता की बेंचमार्क डिग्री क्या है?

What is the benchmark degree of disability specified for PwBD?

उत्तर बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

To be considered as a Person with Benchmark Disability (PwBD), the disability should be 40% or more.

प्रश्न 49 क्या PwBD उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Can PwBD candidates apply against unreserved vacancies?

उत्तर PwBD उम्मीदवार किसी भी ऐसे पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, लेकिन पद को CEN नंबर 07/2026 के अनुलग्नक-ए (पोस्ट-वार पैरामीटर्स) में उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

The suitability or otherwise of a post for PwBD has been indicated in the Post wise Parameters Table (Annexure-A) against each post, under the column "Suitability for Persons with Benchmark Disabilities" with details of specified sub- category of disability.

प्रश्न 50 मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूँ ?

How do I know about the suitability of various disabilities for the posts?

उत्तर PwBD के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को प्रत्येक पद के सामने पदवार पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में, विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ "बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत दर्शाया गया है।

The suitability or otherwise of a post for PwBD has been indicated in the Post Wise Parameters Table (Annexure-A) against each post, under the column "Suitability for Persons with Benchmark Disabilities" with details of specified sub- category of disability.

प्रश्न 51 मैं एक PwBD उम्मीदवार हूँ, क्या मुझे CBT के लिए एक स्क्राइबर का उपयोग करना चाहिए?

I am a PwBD candidate, shall I use a scribe for CBT?

उत्तर

- दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - BA) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक विकलांगता (PwBD) वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइबर की सुविधा दी जाएगी।
- मानक विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइबर की सुविधा दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइबर आवश्यक है।
- उम्मीदवार अनुलग्नक V(F) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(C) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइबर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- ऊपर बताए अनुसार स्क्राइबर के लिए पात्र और स्क्राइबर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइबर का विकल्प चुनना होगा। स्क्राइबर के लिए पात्र उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर स्क्राइबर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 - In case of persons with benchmark disabilities (PwBD) in the category of Blindness, Locomotor Disability (Both Arm affected – BA) and Cerebral Palsy, the facility of scribe shall be given, if so desired by the person.
 - In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution.
 - The candidate can avail the assistance of scribe after producing the certificate as per Annexure V (F) and submission of letter of undertaking as per Annexure V (C) at the examination centre.
 - Candidates eligible for scribe as explained above and wish to avail the scribe facility must opt for scribe in their online application. Scribe eligible candidates will have to arrange for the scribe on their own at their own cost.

प्रश्न 52 सीबीटी में पात्र अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइबर की सुविधा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

How to avail the facility of scribe for eligible candidates in the CBT?

उत्तर

- क) स्क्राइबर के लिए पात्र उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्क्राइबर rrbapply.gov.in पर आरआरबी के साथ पंजीकृत है (कृपया विस्तृत सीईएन -07/2026 में स्क्राइबर के पंजीकरण के संबंध में पैरा 11.7.7 देखें)
- ख) जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में लेखक का विकल्प चुना है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन की तिथि के भीतर अपने स्क्राइबर का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ग) अपने स्क्राइबर का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइबर के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- घ) स्क्राइबर की पुष्टि के लिए स्क्राइबर के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

- a) Scribe eligible candidates must ensure that their scribe is registered with RRBs at rrbapply.gov.in (please refer para 11.7.7 regarding Registration of scribe in the Detailed CEN-07/2026)
- b) Candidates who have opted for a scribe in their online application must furnish their scribe details within the date of online application.
- c) Enter your scribe's One-Time Registration (OTR) Number. An OTP will send to your scribe's registered mobile number.
- d) Must enter the OTP sent to the scribe's registered mobile number to confirm the scribe.

- प्रश्न 53** स्क्राइब के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
What is the procedure for registration of scribe?
- उत्तर** क) किसी भी व्यक्ति को, जिसे स्क्राइब-योग्य उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब के रूप में नियुक्त किया गया है, आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर होम पेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
ख) सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
ग) केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ देने की अनुमति होगी।
(कृपया विस्तृत CEN-07/2026 में पैरा संख्या 11.7.8 और 14.6 देखें)
- Any person engaged as a scribe by a scribe-eligible candidate must register on the RRB portal at rrbapply.gov.in by navigating to the Home page → Scribe Registration
 - Upon successful registration, an OTR number will be generated and sent to the scribe's registered mobile number.
 - Only registered scribes with valid OTR numbers will be permitted offer their services as scribe.
- (Please Refer to para no. 11.7.8 and 14.6 in the Detailed CEN-07/2026)
- प्रश्न 54** 'शुल्क वापसी' के लिए कौन पात्र हैं?
Who all are eligible for 'Refund of Fee'?
- उत्तर** प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत सीईएन संख्या 07/2026 के पैरा 7.4 के तहत दिए गए 'शुल्क वापसी' (बैंक शुल्क काटकर) के लिए पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।
Candidates who attend 1st Stage CBT are only eligible for 'Refund of Fee' (duly deducting bank charges) as given under Para 7.4 of detailed CEN No. 07/2026. Please note that modification fee is non-refundable.
- प्रश्न 55** कृपया मुझे रे.भ.बो. की 'रिफंड नीति' बताएं।
Please let me know the 'Refund policy' of RRBs.
- उत्तर** रिफंड नीति: भुगतान के साथ आगे बढ़ते हुए, आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान वापस नहीं किया जा सकता है और आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक नहीं उठा सकते हैं। शुल्क का वापसी योग्य भाग (विस्तृत सीईएन के पैरा 7.4 के अनुसार) केवल उन्हीं पर लागू होगा जो उम्मीदवार प्रथम चरण की सीबीटी में भाग लेते हैं। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों और प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित न होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
Refund policy: By proceeding with payment, the applicant acknowledges and agrees that the Payment made is non-refundable and applicants cannot raise Chargeback under any circumstances. The refundable portion of the fee (as per Para 7.4 of the detailed CEN) will be applicable only to those candidates who attend the 1st Stage CBT. There will be no refund of examination fee for erroneous, incomplete, or rejected applications and non-attendance of 1st Stage CBT.
- प्रश्न 56** आवेदन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है। अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ें ?
In the application, only matriculation is visible. How do I add my other qualifications?
- उत्तर** 'योग्यता' के अंतर्गत प्रासंगिक योग्यता का चयन करें, योग्यता विवरण भरें और 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें।
Under 'Qualification' select the relevant qualification, fill in the qualification details and click On 'Add' button.
- प्रश्न 57** यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष ही उपलब्ध है तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी चाहिए?
What date should I enter in the application if only the month and year of passing are available on the matric and other qualification certificates?
- उत्तर** यदि किसी योग्यता प्रमाणपत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तारीख दर्ज करें। उदाहरण के लिए मई-2023 को 31-05-2023 के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है।
In case the date is unavailable on any of the qualification certificates, enter the last date of the month available on the certificate. For example, May-2023 may be mentioned as 31-05-2023.
- प्रश्न 58** यदि जिला/राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?
Which district /state should I mention if district/state have been bifurcated?
- उत्तर** वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य के लिए कुछ जिलों को नहीं दिखाया जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को और विभाजित कर दिया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

Present district/state may be mentioned since some districts will not be shown for a respective state in lieu of bifurcation, i.e., after bifurcation of Andhra Pradesh in Two states (Andhra Pradesh & Telangana). Districts of combined Andhra Pradesh State have been divided into Andhra Pradesh and Telangana. Moreover, districts of respective states have been further bifurcated. So, present district/ state may be mentioned to avoid ambiguity.

- प्रश्न 59** कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे ?
What all documents are to be uploaded in total?
- उत्तर** /सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
 All candidates have to upload their scanned signature as per prescribed specifications. SC/ST candidates have to upload Caste Certificate in order to avail Free Travel Pass.
- प्रश्न 60** अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का आकार क्या होना चाहिए?
What should be size of the documents to be uploaded?
- उत्तर** अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेजों का आकार इस प्रकार है:
 1. जाति प्रमाण पत्र: जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ़ प्रारूप में 400 केबी तक का होना चाहिए।
 2. हस्ताक्षर: हस्ताक्षर न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन के बीच होने चाहिए, आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई), 30 केबी से 49 केबी जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में। स्कैन किए गए हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर होने चाहिए। बॉक्स का आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर निर्दिष्ट बॉक्स आयामों के बीच में हों। कृपया विवरण के लिए CEN संख्या 07/2026 का पैरा संख्या 14.5.1 देखें।
 The size of the scanned documents to be uploaded are as follows:
 1. Caste certificate: The caste certificate should be up to 400 KB in pdf format.
 2. Signature: Signature should be between minimum resolutions of 100 DPI, dimensions: Minimum 140 pixels (width) × 60 pixels (height), 30 KB to 49 KB in JPG/JPEG format. The scanned signature must be positioned within the designated scan box on the application form. Box size: 35 mm (width) × 20 mm (height). Ensure that the signature is centered within the specified box dimensions. Please see Para No.14.5.1 of CEN No. 07/2026 for details.
- प्रश्न 61** मैं फीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?
How can I pay the fees?
- उत्तर** फीस का भुगतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। फीस के अतिरिक्त उम्मीदवार से प्रोसेसिंग शुल्क और जीएसटी भी लिया जाएगा।
 The fees can be paid only ONLINE through Net banking or Credit Card or Debit Card or UPI services. Processing charges and GST as applicable are chargeable from the candidate in addition to the fees.
- प्रश्न 62** मुझे कितनी फीस चुकानी होगी?
What is the fee that I have to remit?
- उत्तर** सीईएन संख्या 07/2026 का पैरा 7.0 देखें।
 Refer Para 7.0 of CEN No. 07/2026.
- प्रश्न 63** भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मैं कार्यक्रम कैसे जान सकता हूँ?
What are the stages of recruitment process and how do I know the schedules?
- उत्तर** प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई)। सीबीटी कार्यक्रम और स्थान की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को एकीकृत आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट <https://rrb.indianrailways.gov.in>, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। सीबीटी के किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
 1st Stage Computer Based Test (CBT), 2nd Stage Computer Based Test (CBT), Document Verification (DV) and Medical Examination (ME). Information on CBT schedule and venue will be given to eligible candidates in due course through Unified Official RRB Website i.e. <https://rrb.indianrailways.gov.in>, SMS and Email. Request for postponement of any of the stages of CBT or for change of venue, date and shift will not be entertained under any circumstances.
- प्रश्न 64** सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस क्या है?
What is the pattern and syllabus for CBTs?
- उत्तर** कृपया पैरा-13 देखें।
 Please refer Para-13

- प्रश्न 65** क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी?
Will there be negative marking?
- उत्तर** सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @1/3rd अंक की नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
There will be negative marking @1/3rd mark for every wrong answer in CBT.
- प्रश्न 66** मुझे अपनी परीक्षा के लिए अपनी पसंद की भाषा कहां चुननी चाहिए?
Where should I choose my choice of language for my examination?
- उत्तर** उम्मीदवार 'व्यक्तिगत विवरण' पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।
Candidates can choose one language from a list of languages available in the drop-down menu under 'Personal Details' page.
- प्रश्न 67** क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?
Should I provide the order of preference for all the posts for which I am eligible?
- उत्तर** हां, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने गए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं, उतने पदों के लिए अपना वरीयता क्रम बताएं। आवंटन के समय रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवारों पर केवल उन विशिष्ट रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें उन्होंने चुना है। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है, तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएँ सबमिट हो जाने के बाद, वे अंतिम होती हैं, और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
Yes, candidates are advised to indicate their order of preference for as many posts as they are eligible for in the chosen RRB. Candidates with partial preferences will only be considered for the specific Railway Zones and posts/categories they have opted for, subject to vacancy availability at the time of allotment. If no preference is given for certain posts/categories, it will be considered as their unwillingness for those posts. Once preferences are submitted, they are final, and no changes will be entertained.
- प्रश्न 68** आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रश्नों के मामले में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
Whom should I contact in case of queries related to submission of application?
- उत्तर** उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन 07/2026 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
ईमेल: rrb.help@csc.gov.in Phone: 9592001188/01725653333
Helpline for candidates: For any queries related to submission of Application of CEN 07/2026 (10:00 AM to 5:00 PM on all working days)
Email: rrb.help@csc.gov.in Phone: 9592001188/01725653333
- प्रश्न 69** मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है ?
How do I know that my application is finally submitted?
- उत्तर** ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
Final acceptance of ONLINE application will happen only after receiving confirmation of fee payment. The applicant will receive a confirmation on successful payment through email & SMS.
- प्रश्न 70** मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में, क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा?
In case of rejection of my application, will the fee paid by me be refunded?
- उत्तर** आवेदन अस्वीकृत होने पर कोई शुल्क की वापसी नहीं किया जाएगा।
No refund of fee will be made on account of rejection of applications.
- प्रश्न 71** मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-कॉल लेटर भी जनरेट हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में स्वीकार कर लिया गया है?
My application is accepted and also my E call letter is generated. Does this imply that I am accepted at all stages of recruitment process?
- उत्तर** भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के समय, उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) देने से पहले, उसके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उसके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों का

सत्यापन, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के साथ, अगले भर्ती चरणों, जैसे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज़ सत्यापन में किया जाएगा।

Admission to all stages of the recruitment process shall be provisional, subject to the candidate satisfying all the prescribed eligibility conditions.

The mere issuance of an E-call letter does NOT imply that the candidature of the candidate has been accepted for the subsequent stages of the recruitment process by the RRB.

At the time of CBT, the appropriateness, authenticity & genuineness of their Photograph & Signature will be verified along with the other required credentials of the candidate before allowing them to take the CBT.

Credentials of the candidates will be verified along with the authenticity of their submitted information at subsequent recruitment stages i.e. Medical Examination/Document Verification.

प्रश्न 72 क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ?

Can I take the print out of the application?

उत्तर हाँ। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Yes. Candidates can take print out of their application after payment of examination fees.

प्रश्न 73 लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure for uploading the Live photograph?

उत्तर कृपया अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 07/2026 के पैरा संख्या 14.4 देखें।

Please see Para No.14.4 of CEN No. 07/2026 for details.

प्रश्न 74 हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?

What is the procedure for uploading the Signature? What type of signature should be uploaded?

उत्तर कृपया अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 07/2026 के पैरा संख्या 14.5.1 देखें।

Please see Para No.14.5.1 of CEN No. 07/2026 for details.

प्रश्न 75 मैं रिक्तियों का विवरण कहां देख सकता हूँ?

Where can I find the details of vacancies?

उत्तर रे.भ.बो. के अनुसार रिक्तियां अनुलग्नक 'बी' में हैं।

The RRB-wise vacancies are at Annexure 'B'.

प्रश्न 76 क्या राज्य सूची में मौजूद ओबीसी ओबीसी-एनसीएल आरक्षण के लिए पात्र हैं?

Whether OBCs present in state list are eligible for OBC-NCL reservation?

उत्तर राज्य सूची में मौजूद ओबीसी, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (<http://www.ncbc.nic.in> पर नवीनतम सूची के अनुसार), आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

OBCs present in the State list but not covered in the central list of OBCs (as per the latest list in <http://www.ncbc.nic.in>) are NOT eligible to claim the reservation.